MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.11(137)/ VS/2021/Power/2759 Dated:- 28/07/2021

To

The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Starred Question No.26

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Starred Question No.26 for 30.07.2021 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above

28/7/2021

(R.S.Samria)
Dy. Director (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :– ऊर्जा विभाग

विभाग का पता :– आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

तारांकित प्रश्न संख्या–26

दिनाँक :– 30.07.2021

प्रश्नकर्ता श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बिजली, केबल, टेलिफोन, इंटरनेट आदि की खुली लटकती हुई तारें न केवल खतरनाक हैं, बल्कि ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं;	बिजली वितरण कंपनियो ने सूचित किया है कि प्रिवेन्टीव रखरखाव के दौरान नियमित रूप से बिजली की तारो की ड्रेंसिग की जाती है।
ख)	क्या इन लटकी हुई तारों और केबल के जालों को हटाने के लिए सरकार कोई कदम उठाने जा रही है;	बिजली की तारें जो कि मानव जीवन के लिए खतरनाक है उनको हटाने के लिए उर्जा विभाग की नीति है, जिसे मंत्री परिषद द्वारा निर्णय संख्या 2604 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति की प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'क')। उर्जा विभाग में मानव जीवन के लिए खतरनाक 11 केवी के 'बेअर कंडक्टर' को 'इंसुलेटेड कंडक्टर' में बदलने की नीति विचाराधीन है।
ग)	क्या सरकार का 'लो टेंशन' वाली बिजली की तारों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव है;	मंत्री परिषद निर्णय संख्या 2604 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अनुमोदित उपरोक्त नीति 'लो टेंशन' वाली बिजली की तारों के संबन्ध में भी लागू हैं।
घ)	यदि हॉं, तो उसका विवरण दें;	उपरोक्तानुसार।
ड़)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
च)	क्या सरकार को जानकारी है कि उर्जा कंपनियॉं ऐसे घरों में बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर रही है; जो बिजली केबल्स के बहुत पास है;	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और बिजली वितरण कंपनियो ने सूचित किया है कि बिजली के कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाते है। निरीक्षण करने पर यदि डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 11(2)(iv) में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो बिजली वितरण कंपनी लोड को मंजूरी नहीं देती है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'ख') भवन और विद्युत नेटवर्क के बीच न्यूनतम दूरी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 द्वारा समय–समय पर संशोधित नियम 60 और 61 में निर्दिष्ट की गई है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 'ग')
छ)	यदि हॉं, तो क्या सरकार का इन कंपनियों को ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और इन घरों को राहत देने हेतु कोई निदेश जारी करने का प्रस्ताव है; और	बिजली वितरण कंपनियो ने सूचित किया है कि सम्बंधित विषय पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य है।
ज)	यदि हॉं, तो उसका विवरण?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

28/7/2021

(आर.एस.सामरिया)

उप–निदेशक (ऊर्जा)

R. S. SAMRIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi

क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL B-WING
NEW DELHI-110002

No: F.11 (09)/2007/Power/2609-2619 Dated: 03rd August, 2018

ORDER

Sub: Policy on the shifting of HT (11KV, 33KV & 66KV) / LT400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives – Modification of Cabinet decision No.1588 dated 09.11.2009 thereof.

The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide decision no. 2604 dated 31.07.2018 on the subject cited above has considered and approved the following in respect of the existing policy on shifting of HT/LT Lines:

i. In case of colonies set up under 20 point programme in the rural area, the shifting of HT/LT lines would be done through the fund of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.

ii. In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the funds of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.

iii. In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.

iv. In respect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.

v. In case of HT/LT lines passing through Government Institutions, public authority buildings, schools, hospitals, colleges of public nature and

03/8/18

which are owned by the government, 100% of the funding would be met by the concerned department/ agency for shifting of the lines.

vi. In case of private institutions of a public nature like educational and health institutions etc., 100% of the cost of shifting is to be borne by the concerned institution.

vii. Scope of the policy of HT/LT lines will include the HT transmission lines of 11KV, 33KV as well as 66KV and LT lines of 400V.

(Sudhir Sharma)
Dy. Secretary (Power)

Copy to : -

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. Spl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. Council of Ministers, GNCTD
4. All MLAs, GNCTD
5. SO to Chief Secretary, GNCTD
6. Addl. Chief Secretary, GNCTD
7. All Pr. Secretaries / Secretaries, GNCTD
8. Pr. Secretary (UD), GNCTD
9. Secretary, DERC
10. Dir (O), DTL
11. CEOs, BRPL, BYPL & TPDDL

(5) **मौजूदा संपत्ति का पुनर्निर्माणः –**

परिसर या इमारत के पूर्ण विध्वंस और पुनर्निर्माण के मामले में निम्नलिखित लागू होंगेः

(i) मौजूदा कनेक्शन से विद्युत की आपूर्ति के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका परिसर के मालिक/अधिभोगी/विकासकर्त्ता द्वारा अनिवार्य रूप से समर्पण किया जाना होगा।

(ii) मीटर और सर्विस लाइन को निकाल दिया जाएगा, और समझौता केवल लाइसेंसधारी को देय सभी देय राशि को प्राप्त करने के बाद समाप्त होगा और उसके बाद उपभोक्ता की सुरक्षा जमाराशि विधिवत नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा वापस की जाएगी।

(iii) परिसर के मालिक, अधिभोगी, विकासकर्त्ता, जैसा मामला हो, अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा और लाइसेंसधारी ऐसा अस्थायी कनेक्शन विनियमन 16 के अधीन प्रदान करेगाः

बशर्ते ऐसे सभी मामलों में अस्थायी कनेक्शन इस तरह के परिसर के लिए बकाया राशि, यदि कोई हो, का पूरी तरह से भुगतान किए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा।

(iv) ऐसे पुनर्निर्मित परिसर या भवन को नए परिसर के रूप में माना जाएगा और उपभोक्ता को इन विनियमों के अनुसार नए कनेक्शन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(v) इस तरह के पुनर्निर्मित परिसर के लिए कोई नया कनेक्शन, आवेदक द्वारा परिसर के प्रति बकाया देय राशि के विधिवत भुगतान किए जाने के बाद ही दिया जाएगाः

बशर्ते यह कि इस तरह के पुनर्निर्मित भवन का कई मालिकों द्वारा अधिभोग किया जाता है, तो पुनर्निर्मित भवन में ऐसे कई मालिकों के लिए नए कनेक्शन (कनेक्शनों) को इस रूप में माना जाएगा जैसे कि संपत्ति को विनियमन 10 (4) के रूप में उप–विभाजित किया गया है।

(6) **मौजूदा संपत्ति का नवीनीकरणः –**

विनियमन 10 (5) के अधीन, घरेलू उपभोक्ता द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग की जा रही मौजूदा संपत्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन घरेलू श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगाः

(i) उपभोक्ता लाइसेंसधारी को अग्रिम नोटिस देगा;

(ii) उपभोक्ता द्वारा इस आशय का एक वचन–पत्र दिया जाएगा कि परिवर्तन/परिवर्धन मौजूदा बिल्डिंग उप–नियमों के अनुसार है;

11. **नया विद्युत कनेक्शनः –**

लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, नए कनेक्शन के लिए आवेदन को संसाधित करेगा

(1) **सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करनाः –**

(i) आवेदक आयोग के आदेशों में अधिसूचित रूप में नए कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी के पास आवेदन करेगाः

बशर्ते यह कि अतिरिक्त उच्च तनाव या उच्च तनाव वोल्टेज स्तर पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पर आयोग के आदेशों में अधिसूचित एक अप्रतिदेय पंजीकरण–सह–प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा।

(ii) आवेदक लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता हैः

बशर्ते यह कि 50 केवीए और उससे अधिक के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन, जब तक कि ऐसा कोई अन्य निम्नतर मान नहीं हो जैसा समय–समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) यदि आवेदक अनुमोदित विनिर्देशों का अपने खुद का मीटर प्रदान करना चाहता है, तो वह आवेदन करने के समय स्पष्ट रूप से लाइसेंसधारी को सूचित करेगा।

(iv) लाइसेंसधारी आवेदक को आवेदन पत्र में सभी कमियों को केवल एक बार में बताएगा और बाद में कोई नई कमी नहीं उठाएगा।

(v) यदि लाइसेंसधारी आवेदक को मौके पर उसके आवेदन में किसी भी कमी के बारे में या ऑनलाइन आवेदन के मामले में निर्धारित 2 (दो) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, सूचित करने में विफल रहता है, तो यह आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख पर स्वीकार किया गया समझा जाएगा ।

(vi) यदि आवेदक इस तरह की त्रुटियों को हटाने में विफल रहता है या कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर कमियां हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा ।

(vii) इस विनियम के तहत सूचित कमियों को दूर करने पर ही आवेदन स्वीकार किया गया माना जाएगा।

(2) क्षेत्र निरीक्षणः –

(i) यदि आवेदन प्रपत्र पूरा हो गया है, तो लाइसेंसधारी, आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के समय, लिखित पावती प्रदान करते हुए आवेदक के साथ आपसी परामर्श से आवेदक के परिसर के निरीक्षण के लिए एक तारीख और समय निर्धारित करेगा ।

(ii) निरीक्षण की तिथि आवेदन स्वीकार करने की तिथि से 2 (दो) दिनों के भीतर निर्धारित की जाएगी:

बशर्ते यह कि अगर आवेदक क्षेत्र निरीक्षण के लिए एक अलग तिथि और समय चाहता है, जो निर्धारित तिथि और समय से परे है, तो आवेदक द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय न तो कनेक्शन जारी करने के लिए लिए गए कुल समय की गणना के लिए और न ही क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ विचार हेतु लिया जाएगा:

बशर्ते यह कि यदि आवेदक चाहता है, तो वह आयोग के आदेशों में यथा अधिसूचित निरीक्षण शुल्क के भुगतान पर, लाइसेंसधारी के लिए किसी छुट्टी के दिन निरीक्षण निर्धारित करवा सकता है।

(iii) लाइसेंसधारी नियत तारीख और समय पर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में परिसर के क्षेत्र निरीक्षण करेगा।

(iv) लाइसेंसधारी को, अगर निरीक्षण पर, निम्नलिखित का पता चलता है तो वह लोड की स्वीकृति नहीं देगा:

(क) आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी वास्तविक स्थिति से भिन्न है, या

(ख) स्थापना दोषपूर्ण है या

(ग) यदि ऊर्जाकरण किसी भी आयोग या प्राधिकरण द्वारा उनके किसी भी विनियमन या आदेश के तहत यथा निर्दिष्ट या निर्धारित अधिनियम, विद्युत नियमों, विनियमों के उपबंध या किसी अन्य अपेक्षा के उल्लंघन में हो।

(v) लाइसेंसधारी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों/कमियों, यदि कोई हो, के बारे में आवेदक को मौके पर लिखित सूचना देगा।

(vi) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि दोष/कमियों की सूचना प्राप्त होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर सभी दोष/कमियों को दूर कर लिया जाए।

(vii) आवेदक से दोष/कमियों को दूर करने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी आवेदक के परिसर के पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदक को तिथि के बारे में सूचित करेगा, जो आवेदक से दोष/कमियों को दूर कर लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों से अधिक बाद की नहीं होगी।

(viii) यदि आवेदक ऐसे दोष/कमियों को दूर करने में विफल रहता है या दोष/कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोषों को हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा:

बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी कार्य के पूरा होने के लिए आवेदक को अतिरिक्त समय दे सकता है, यदि आवेदक दोषों / कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर ही लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

(ix) यदि लाइसेंसधारी आवेदन की स्वीकृति की तिथि या स्थल संबंधी दोषोंकमियों को हटाने की सूचना मिलने की तारीख से 2 (दो) दिनों के भीतर क्षेत्र निरीक्षण/पुनः निरीक्षण करने में विफल रहता है, तो कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया लोड आवेदन की स्वीकृति की तारीख से या दोष /कमियों को हटाने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 2(दो) दिन बाद, जैसा भी मामला हो स्वीकृत किया गया माना जाएगा ।

(3) लोड स्वीकृति और मांग नोटः –

(i) इस अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा किए गए उपबंधों के सिवाय, लाइसेंसधारी आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए लोड को मंजूरी देगा।

(ii) लाइसेंसधारी क्षेत्र निरीक्षण के 2 (दो) दिनों के भीतर, दोषों/कमियों को सुधार लिए जाने की शर्त के अध्यधीन, लागू शुल्क के लिए आवेदक को मांग नोट देगा जिसमें आवेदन जमा करने के समय, जमा किए गए पंजीकरण सह प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, के लिए समायोजन करने के बाद, सेवा लाइन सह विकास (एसएलडी) प्रभार, जमानत जमा, पूर्व भुगतान मीटर के लिए जमानत, सड़क पुनर्स्थापना प्रभार, रीकनेक्शन प्रभार आदि जैसे शीर्षों के अंतर्गत इसका विवरण दिया जाएगा:

'ग'

(5) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट लाइनों के लिए जमीन से अंतराल नीचे दी गई ऊंचाई से कम नही होगा:-

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	जमीनी अंतराल (मीटर)
1.	100 के.वी	6.1
2.	200 के.वी	7.3
3.	300 के.वी	8.5
4.	400 के.वी	9.4
5.	500 के.वी	10.6
6.	600 के.वी	11.8
7.	800 के.वी	13.9

(6) जमीनी अंतराल अनुसूची X के अनुसार होगा ।

59. **सुचालकों तथा ट्रॉली वायरों के बीच अंतराल** - (1) ट्रॉली वायर का उपयोग करने वाली ट्रॉली अथवा ट्राम-वे को पार करने वाली ओवरहेड लाइनों के सुचालक ट्रॉली वायर के ऊपर कम से कम निम्नलिखित ऊंचाई पर रहेंगे -

(i) 650 वो. तक वोल्ट वाली लाइनें - 1.2 मी.

परन्तु ऐसे मामलों में जहां बीयरर वायर से लटकने वाला इंसुलेटेड सुचालक ट्रॉली वायर के ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे इंसुलेटेड सुचालक के लिए न्यूनतम अंतराल 0.6 मी. होगा ।

(ii) 650 वो. से अधिक और 11000 वो. तक और सहित वोल्ट वाली लाइनें - 1.8 मी.

(iii) 11000 वो. से अधिक किन्तु 33000 वो.तक वोल्ट वाली लाइनें - 2.5 मी.

(iv) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली लाइनें - 3.0 मी.

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में, जो भी व्यक्ति बाद में लाइन बिछाता है, वह अपनी लाइन तथा कथित उप-विनियम के अनुसार क्रॉस होने वाली लाइन के बीच अंतराल रखेगा।

परन्तु नीचे की लाइन बाद में बिछाने वाला यदि पर्याप्त अंतराल रखने में असमर्थ है, तो इस उप-विनियम के अनुपालन में ऊपर की लाइन में बदलाव की लागत वहन करेगा ।

60. **650 वो. से अधिक वोल्ट की लाइनों और सर्विस लाइनों की इमारतों से दूरी** - (1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो, किसी मौजूदा भवन के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई भी इमारत नही बनाई जाएगी ।

(2) ऐसे मामले में जहां 650 वो. से कम वोल्ट की कोई ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या पास से गुजरती है अथवा समाप्त होती है, किसी भी पहुंच बिन्दु से, अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अंतराल रखा जाएगा, अर्थात्: -

(i) किसी भी सपाट छत, खुली बालकनी, वराण्डा, छत और झुकी हुई छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, उच्चतम बिन्दु से लम्बवत दूरी 2.5 मी.; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, सबसे नजदीक के बिन्दु से समानांतर दूरी 1.2 मी.; और

(ii) ढलवां छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन के तत्काल नीचे से 2.5 मी. की लम्बवत दूरी; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, 1.2 मी. का अंतराल ।

(3) कोई सुचालक, जो इस प्रकार लगाया है कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 कि.ग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुले बीयरर वायर से पर्याप्त अंतरालों पर जुड़ा होगा ।

(4) समानांतर दूरी तब नापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण लम्बवत से अधिकतम विचलन पर हो ।

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "इमारत" शब्द में कोई भी अवसंरचना, चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, सम्मिलित है ।

61. **650 वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइनों की इमारतों से दूरी** - (1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेंगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी ।

(2) ऐसे मामले में जहां 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

(i) 650 वो. से अधिक किन्तु 33,000 वो. तक और सहित वोल्ट वाली - 3.7 मी.

लाइन के लिए

(ii) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली लाइन के लिए - 3.7 मी. + 0.30 मी. प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वो. या इसके भाग के लिए

(3) सबसे नजदीकी सुचालक और ऐसी इमारक के बीच की समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार, निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

(i) 650 वो. से अधिक और 11,000वो. तक और सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए - 1.2 मी.

(ii) 11000 वो. से अधिक और 33,000 वो. तक और सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए - 2.0 मी.

(iii) 33 के.वी. वोल्ट से अधिक वाली लाइन के लिए - 2.0मी. + 0.3 मी. प्रत्येक अतिरिक्त 33 के.वी. अथवा इसके भाग के लिए

(4) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) प्रणाली के लिए, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर इमारत से लम्बवत दूरी और समानांतर दूरी इस प्रकार रखी जाएगी:-

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	लम्बवत दूरी (मीटर)	समानांतर दूरी (मीटर)
1	100 के.वी.	4.6	2.9
2	200 के.वी.	5.8	4.1
3	300 के.वी.	7.0	5.3
4	400 के.वी.	7.9	6.2
5	500 के.वी.	9.1	7.4
6	600 के.वी.	10.3	8.6
7	800 के.वी.	12.4	10.7

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में निर्धारित दूरी के अनुसार होगी ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, को सम्मिलित माना जाएगा ।

62. **एक ही अवलम्ब पर भिन्न-भिन्न वोल्ट वाले सुचालक** - ऐसे मामले में जहां एक ही प्रणाली के अलग-अलग वोल्ट वाले सुचालक एक ही अवलम्ब पर लगाए गए हैं, इनका स्वामी, कम वोल्ट वाली प्रणाली के काम करने के लिए आवश्यक वोल्ट से अधिक आवेशित होने से उत्पन्न खतरों से लाइनमैन और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, प्रणाली का यह अधिक आवेशन उच्च प्रणाली से लीकेज या संपर्क होने और निर्माण के पैटर्न के कारण हो सकता है । दो प्रणालियों के सुचालकों के बीच बनाए रखने योग्य न्यूनतम दूरी, एक-दूसरे को क्रॉस करने वाली लाइनों के संबंध में विनियम 69 में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी ।

63. **इमारतों, अवसंरचनाओं, फ्लड बैंक (तटबंध) और सड़कों के उठान का निर्माण या इनमें फेरबदल** - (1) ओवरहेड लाइन चाहे वह इंसुलेटिंग पदार्थ से आवरित हों या न हों, खड़ी करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति नई इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक बनाना चाहता है या किसी रोड की सतह को उठाना चाहता है अथवा किसी अन्य प्रकार का कार्य, चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई कराना चाहता है या किसी इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक अथवा रोड में या इनके ऊपर स्थाई अथवा अस्थाई विस्तार या फेरबदल करना चाहता, वह ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना, आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को देगा और इसके साथ प्रस्तावित इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक (तटबंध), सड़क अथवा विस्तार या फेरबदल और निर्माण के दौरान अपेक्षित ढांचे को दर्शाने वाला पैमाने सहित नक्शा उपलब्ध कराएगा ।

(2) ऐसी सूचना मिलने पर आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी नीचे दी गई जांच करेगा -

(i) क्या संदर्भित लाइन इन विनियमों और अन्य कानूनों के अनुसार बिछाई गई थीं;

(ii) क्या यह तकनीकी रूप से व्यवहारिक है;

(iii) क्या यह मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) की आवश्यकता पूरी करता है;

(iv) क्या यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि ऐसा है, तो इस व्यक्ति को ओवरहेड लाइन के फेरबदल पर होने वाले संभावित व्यय की लागत के प्राक्कलन के साथ एक नोटिस बिना किसी देरी के भेजें और नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अनुमानित लागत की राशि आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी के पास जमा करने को कहें ।

(3) यदि यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी द्वारा आंकी गई लागत को और यहां तक कि इस लागत के भुगतान के संबंध में दायित्व को चुनौती देता है, तो विवाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा और उसका फैसला अंतिम होगा ।

(4) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर निम्नलिखित के आधार पर ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का आकलन करेगा, अर्थात्: -